न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या :— 20/2024
जीसीएमएस नम्बर :—2024/152

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

श्री महावीरचंद बुरड़ पुत्र श्री मन्नालाल बुरड़, उम्र 55 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म—मैसर्स— अंकित ट्रेडिंग कम्पनी, लवेरा बावड़ी, नागौर रोड़, जोधपुर। निवासी — 2 एबी रिद्वि सिद्वि, दाधीच नगर महामंदिर, जोधपुर।

—:आदेश :— दिनांक :— 28.08.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.04.2024 को सुरेश कुमार माली बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स अंकित ट्रेडिंग कम्पनी, लवेरा बावड़ी, नागौर रोड़, जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय दुकान पर एफबीओ/मालिक की हैसियत से श्री महावीरचंद बुरड़ पुत्र श्री मन्नालाल बुरड़, उम्र 55 वर्ष उपस्थित मिले तथा आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ काजू टुकड़ी, घी, तेल व अन्य सामग्री बेचने हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। उक्त खाद्य पदार्थ मालिक से वर्ष 2024 का खाद्य अनुज्ञा—पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसआई रजि0 22220074000559 एवं स्वयं का आधार कार्ड पेश किया।

खाद्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर दुकान में एक प्लास्टिक भरनी में काजू टुकड़ी लगभग 05 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत जांच कराने के लिए रूबरू गवाहान श्री महेश पुत्र श्री कोजाराम, उम्र 22 वर्ष, निवासी 32 मील, सांवत कुआ कल्ला, बावड़ी, जोधपुर के सामने एफबीओ/मालिक को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए देने से पहले मालिक व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ काजू टुकड़ी वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5 ए पर मेरे एफबीओ/मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर है। जो सलंग्न है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 600/— नगद देकर काजू टुकड़ी 1 किलोग्राम वास्ते जाँच नमूनीकरण हेतु खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। 250 ग्राम प्रति नमूना के हिसाब से प्लास्टिक की चार साफ सूखी बोतलो में डालकर नियमानुसार नमूनीकरण किया गया। जिस पर मेरे, मालिक व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

एफबीओ/मालिक व गवा[illegible] टुकड़ी हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एस—4186 खाद्य पदार्थ [illegible] विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व मालिक ने [illegible] पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.24 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–4186 हस्ताक्षर युक्त डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अभिहित अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये एफबीओ/मालिक के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व एफबीओ/मालिक ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–4186 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व मालिक के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 12.04.2024 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–4186 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 09.04.2024 एंव चतुर्थ भाग दिनांक 09.04.2024 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 837–838 दिनांक 07.05.2024 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस./501/एक्ट/2024/521 दिनांक 24.04.2024 श्री महावीरचंद बुरड़ पुत्र श्री मन्नालाल बुरड़, उम्र 55 वर्ष, फर्म–मैसर्स– अंकित ट्रेडिंग कम्पनी, लवेरा बावड़ी, नागौर रोड़, जोधपुर। निवासी – 2 एबी रिद्वि सिद्वि, दाधीच नगर महामंदिर, जोधपुर को प्रेषित करते हुए एक मूल प्रति मुझे प्राप्त हुई, जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ काजू टुकड़ी का नमूना Insect damage. के निर्धारित मानक Maximum 0.5% के स्थान पर 18.46% होने के कारण अमानक स्तर (SubStandard) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ काजू टुकड़ी का विक्रय कर एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के [illegible] अपराध है। अन्त में अप्रार्थी पर अधिकतम से अधिकतम जुर्माना अधिरोपित करने [illegible] प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.24 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी दिनांक 31.07.2024 को स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी की बहस सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 28.08.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर बतलाया कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट काजू में नहीं की गई है। काजू के आवागमन में काजू टूट जाते है जिसके लिए अप्रार्थी जिम्मेदार नहीं हूँ। अन्त में न्यनूतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स फर्म–मैसर्स– अंकित ट्रेडिंग कम्पनी, लवेरा बावड़ी, नागौर रोड़, जोधपुर से उक्त खाद्य पदार्थ काजू टुकड़ी का नमूना Insect damage. के निर्धारित मानक Maximum 0.5% के स्थान पर 18.46% होने के कारण अमानक स्तर (SubStandard) होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी महावीरचंद बुरड़ पुत्र मन्नालाल बुरड़ पर शास्ती रूपये 5,000/– अक्षरे रूपये पांच हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री महावीरचंद बुरड़ पुत्र श्री मन्नालाल बुरड़, उम्र 55 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म–मैसर्स– अंकित ट्रेडिंग कम्पनी, लवेरा बावड़ी, नागौर रोड़, जोधपुर। निवासी – 2 एबी रिद्वि सिद्वि, दाधीच नगर महामंदिर, जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.24 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)